रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 17 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 27, 1943 शक संवत्) [संख्या 16

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	391–404	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	459–482	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	451–461	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

नियुक्ति

23 मार्च, 2021 ई0

सं0 631 (अधि0) वि0प0-41/85–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के माननीय सभापति, विधान परिषद् के निजी स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के निःसंवर्गीय अस्थायी राजपत्रित पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) में श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 जयपाल सिंह, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से माननीय सभापति, विधान परिषद् के आदेशानुसार पूर्णतया अस्थायी रूप से, नियुक्त किया जाता है।

2–श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

3–श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह की सेवायें पूर्णतया माननीय सभापति जी के प्रसाद पर्यन्त होगी तथा वे उनके पद पर बने रहने तक ही सीमित होगी, तदोपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह को कार्यभार ग्रहण करने एवं सेवा समाप्ति के पश्चात् कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अवकाश

26 मार्च, 2021 ई0

सं0 420/21-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 27 जनवरी, 2021 से दिनांक 29 जनवरी, 2021 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 01 फरवरी, 2021 से दिनांक 05 फरवरी, 2021 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 08 फरवरी, 2021 एवं दिनांक 09 फरवरी, 2021 का 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

16 फरवरी, 2021 ई0

सं0 रा0क0-1-81/11-2021-15/18—कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या स्था-1-पी0एफ0-श्रीमती सुषमा, डि0कमि0/2020-21/649/वाणिज्य कर, दिनांक 15 जनवरी, 2020 के माध्यम से प्राप्त श्रीमती सुषमा सिंह, डिप्टी कमिश्नर (सर्वो0 न्या0का0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अनुरोध-पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती सुषमा सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर का गृह जनपद एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता है—

क्र0सं0	नाम	पदनाम	गृह जनपद	परिवर्तित गृह जनपद
1	श्रीमती सुषमा सिंह	डिप्टी कमिश्नर (सर्वो0 न्या0का0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद	जौनपुर	बलिया

2—उपरोक्त गृह जनपद परिवर्तन इस शर्त के साथ है कि यह गृह जनपद परिवर्तन उक्त अधिकारी के सेवाकाल में अंतिम होगा।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

प्रोन्नति

25 मार्च, 2021 ई0

सं0 75/2021/1093/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2021-2(56)/2010—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा राज्य प्रशिक्षण सेवा श्रेणी-II के अन्तर्गत सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य श्रेणी-II/उप प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विभागीय फोरमैन/अनुदेशक (डिग्रीधारक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवा श्रेणी-II के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में प्रधानाचार्य श्रेणी-II/उप प्रधानाचार्य/सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
1	1665	श्री राहुल कृष्ण शर्मा
2	1727	श्री नीरज कुमार

2—उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य (श्रम विभाग) सेवा नियमावली, 1981, तृतीय संशोधन, 2007 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4–उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उल्लिखित वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो भी हो, देय होंगे।

5–उक्त पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–प्रधानाचार्य श्रेणी-II की ज्येष्ठता नियमावली की व्यवस्था के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

7–उक्त पदोन्नत अधिकारी अपना कार्यभार प्रमाणक सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षु/शिशिक्षु) को प्रस्तुत करेंगे।

8–उक्त पदोन्नत अधिकारी पदोन्नत पद पर तैनात होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्व की भांति करते रहेंगे।

आज्ञा से,
हरिकेश चौरसिया,
विशेष सचिव।

अधिसूचना

06 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 1059/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2021-23(एम)/2017टी0सी0–चूंकि, सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियायें सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं ;

और, चूँकि, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे उक्त ''विभाग'' कहा गया है), 14-35 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं के रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के उद्देश्य से 'राज्य कौशल विकास निधि योजना' (जिसे आगे उक्त ''योजना'' कहा गया है) जैसी योजना को प्रशासित कर रहा है। उक्त योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (जिसे आगे क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

और, चूँकि, उक्त योजना के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिवास करने वाले, बेरोजगार, अल्पशिक्षित युवाओं या विद्यालय छोड़ने वाले 14-35 वर्ष की आयु के युवाओं (जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है) को कौशल विकास प्रशिक्षण (जिसे आगे ''प्रसुविधा'' कहा गया है) प्रदान किया जाता है ;

और, चूँकि, उक्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त है ;

अतएव अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18, सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार (अधिप्रमाणन) कराने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिये किसी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों,के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जायेगी और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात्–

एक–18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये–

(क) यदि बच्चे का नामांकन पाँच वर्ष की आयु के पश्चात् किया गया हो तो (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ), उसकी आधार नामांकन पर्ची, या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्–

(एक) जन्म प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या

(दो) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान-पत्र जिसमें माता-पिता के नाम हों; तथा

(ग) विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ लाभार्थी से सम्बन्ध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अर्थात्–

(एक) जन्म प्रमाण-पत्र या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या

(दो) राशन कार्ड; या

(तीन) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई0सी0एच0एस0)कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड (ई0एस0आई0एस0); या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी0जी0एच0एस0) कार्ड; या

(चार) पेंशन कार्ड; या

(पाँच) आर्मी कैंटीन कार्ड; या

(छः) कोई सरकारी परिवार हकदारी कार्ड; या

(सात) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

दो–18 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिये–

(क) यदि उसने नामांकन किया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्–

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान-पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक;या

(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेन्स; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किये गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–पूर्वोक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्–

(क) खराब फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आई0आर0 आई0एस0 स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधायें प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आइरिश स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिश स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो जहाँ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ, यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे भौतिक आधार-पत्र के आधार पर दी जा सकती है जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पान्स कोड (क्यू0आर0कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पान्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–ऊपर अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी बच्चे को अधिप्रमाणन के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या धारित करने का साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल होने की स्थिति में या नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी बच्चे को आधार संख्या समनुदेशित न किये जाने की स्थिति में उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा। उक्त प्रसुविधा उसे प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर (3) के खण्ड एक (ख) तथा एक (ग) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके प्रदान की जायेगी और जहाँ उक्त प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाय, वहाँ उक्त को अभिलिखित करते हुए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा जिसकी विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा तथा लेखा-परीक्षा करायी जायेगी।

5–उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी (बच्चों से भिन्न) अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-26011/04/2017-डी0बी0टी0, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

6–यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1059/89-Vya.Shi. evam Kau.Vi.Anu-2021-23(M)/ 2017 TC, Dated April 06, 2021.

NOTIFICATION

No. 1059 /89-Vya.Shi. evam Kau.Vi.Anu-2021-23(M)/2017 TC

April 06, 2021

WHEREAS, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity ;

AND WHEREAS, the Department of Vocational Education and Skill Development, Government of Uttar Pradesh (*hereinafter referred to as the Department*) is administering the Scheme viz., **State Skill Development Fund Scheme** (*hereinafter referred to as the Scheme*), with the objective of developing employable skills of the unemployed youths in the age group 14-35 years. The Scheme is being implemented through the Uttar Pradesh Skill Development Mission (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) ;

AND WHEREAS, under the Scheme, skill development training (*hereinafter referred to as the benefits*) is given by the Implementing Agency to the unemployed and moderately literate youths or school dropouts having the domicile of Uttar Pradesh and who come under the age group of 14-35 years (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), as per the extant Scheme guidelines ;

AND WHEREAS, the Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely–

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely–

I–For children below 18 years old–

(*a*) if the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(*b*) any one of the following documents, namely :

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(*c*) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely :

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

II–For beneficiaries above 18 years old–

(*a*) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(*b*) any one of the following documents, namely :

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department :

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely :

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I.(b) and I.(c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December 2017.

6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,
ALOK KUMAR,
Secretary.

अधिसूचना

06 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 1070/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2021-23(एम)/2017टी0सी0—चूंकि, सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियायें सुगम हो जाती हैं, पादर्शिता एवं दक्षता आती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं ;

और, चूँकि, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे उक्त ''विभाग'' कहा गया है) 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगार युवाओं और कौशल विकास में रुचि रखने वाले युवाओं के रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के उद्देश्य से 'शिल्पकार प्रशिक्षण योजना', शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना, क्राफ्ट अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीटीएस, ए0टी0एस0, सी0आई0टी0एस0) जिसे आगे उक्त ''योजना'' कहा गया है, को

प्रशासित कर रहा है। उक्त योजना, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण'' कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है ;

और, चूँकि, उक्त योजना के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगार युवाओं तथा कौशल विकास में रुचि रखने वाले युवाओं (जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है) को रोजगार/स्वरोजगार प्रदान किये जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है ;

और, चूँकि, उक्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित हैं ;

अतएव अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18, सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार, एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजनाओं के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी; परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने कियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों,के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने कियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि आधार किसी व्यक्ति को समनुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात्–

एक–18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये–

(क) यदि बच्चे का नामांकन पाँच वर्ष की आयु के पश्चात् किया गया हो तो (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ), उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :

(एक) जन्म प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या

(दो) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान-पत्र जिसमें माता-पिता के नाम हों; तथा

(ग) विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ लाभार्थी से सम्बन्ध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अर्थात् :

(एक) जन्म प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या

(दो) राशन कार्ड; या

(तीन) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड (ई0एस0आई0एस0); या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी0जी0एच0एस0) कार्ड; या

(चार) पेंशन कार्ड; या

(पाँच) आर्मी कैंटीन कार्ड; या

(छः) कोई सरकारी परिवार हकदारी कार्ड; या

(सात) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

दो–18 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिये–

(क) यदि उसने नामांकन किया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान-पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक;या

(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेन्स; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किये गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या

(दस) कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थायें करेगा कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात् :

(क) खराब फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आइरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जायेगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आइरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा ;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो सीमित समय की वैधता के साथ, यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा साध्य और अनुज्ञेय अनुरोध अधिप्रमाणन, प्रस्तावित किया जा सकता है ;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार-पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पान्स कोड (क्यू0आर0कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पान्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–ऊपर अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी बच्चे को अधिप्रमाणन के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या धारित करने का साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल होने की स्थिति में या नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी बच्चे को आधार संख्या समनुदेशित न किये जाने की स्थिति में उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रसुविधा उसे प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर (3) के परन्तुक के खण्ड एक (ख) तथा एक (ग) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके प्रदान की जायेगी और जहाँ उक्त प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाय वहाँ उक्त को अभिलिखित करते हुए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा जिसकी विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा तथा लेखा-परीक्षा करायी जायेगी।

5–यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी (बच्चों से भिन्न) अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन कार्यालय ज्ञाप, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार संख्या-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

6–यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1070/89-Vya. Shi. evam Kau.Vi.Anu-2021-23(M)/ 2017 TC, Dated April 06, 2021.

NOTIFICATION

No. 1070 /89-Vya.Shi. evam Kau.Vi.Anu-2021-23(M)/2017 TC

April 06, 2021

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND WHEREAS the Department of Vocational Education and Skill Development, Government of Uttar Pradesh (*hereinafter referred to as "the Department"*) is administering the **Craftsmen Training Scheme, Apprenticeship Training Scheme, Craft Instructor Training Scheme (CTS, ATS, CITS)** (*hereinafter referred to as "the Scheme"*), with the objective of developing employable skills of the unemployed youths and youth interested in skill development of the **age 14 years and above.** The Scheme is being implemented through the **Training and Employment Directorate, Uttar Pradesh** (*hereinafter referred to as the "Implementing Agency"*);

AND WHEREAS under the Scheme, unemployed youth and youth of the age of 14 years and above and interested in skill development are trained to get employment/self-employment (*hereinafter referred to as the "benefits"*) by the Implementing Agency; (*hereinafter referred to as the "beneficiaries"*) as per the extant Scheme guidelines;

AND WHEREAS the Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no.18 of 2016) (*hereinafter referred to as the "said Act"*), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :–

I–For children below the age of 18 years–

(*a*) if the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric update identification slip; and

(*b*) any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(*c*) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely :

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department :

II–For beneficiaries above the age of 18 years–

(*a*) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(*b*) any one of the following documents, namely :

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department :

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner ;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered ;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response Code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I.(b) and I.(c) of the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1; and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December, 2017.

6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,
ALOK KUMAR,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–3 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 27, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ

02 मार्च, 2021 ई0

सं0 607 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री अश्विन कुमार वर्मा पुत्र श्री राम अचल वर्मा, निवासी-90 मिझौली, किशुनदासपुर, खपरैला बाजार, अयोध्या (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :

2–श्री अश्विन कुमार वर्मा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री अश्विन कुमार वर्मा को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3–नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी–

(1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।

(2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

(7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

(8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर, बागपत से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—श्री अश्विन कुमार वर्मा को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, बागपत के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री वर्मा दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—श्री अश्विन कुमार वर्मा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10—श्री अश्विन कुमार वर्मा, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

मिनिस्ती एस0,
आई0ए0एस0,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

18 मार्च, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8310/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अलका पटेल पुत्री श्री शैलेन्द्र वर्मा, द्वारा श्री शशिराज वर्मा, ग्राम-शिवदीन खेड़ा मगरायर, उन्नाव, उ0प्र0-209827 (अनुक्रमांक-553283) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—सुश्री अलका पटेल नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री अलका पटेल का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री अलका पटेल की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—सुश्री अलका पटेल को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, प्रयागराज जोन, प्रयागराज के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—सुश्री अलका पटेल को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री अलका पटेल को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8311/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री उदय वीर सिंह द्वारा श्री राजीव कुमार सिंह, ग्राम व पोस्ट-अमृता, जिला-हरदोई, उ0प्र0-241123 (अनुक्रमांक-196228) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2—श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर कानपुर जोन द्वितीय, कानपुर के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8312/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रोहताश सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट-दबयुवा, तहसील-सरधना, जिला-मेरठ, उ0प्र0-250341 (अनुक्रमांक-205527) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री संदीप कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री संदीप कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री संदीप कुमार की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री संदीप कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन द्वितीय, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री संदीप कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री संदीप कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8313/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री पूनम पुत्री श्री निन्नू राम, बी-21, निलगिरी एन्क्लेव, आगरा, उ0प्र0-282010 (अनुक्रमांक-554033) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री पूनम नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री पूनम का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री पूनम की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री पूनम को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन, अलीगढ़ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री पूनम को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री पूनम को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8314/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री रामकुमार सिंह, ग्राम-ठाकुरदेवा, पोस्ट-बडदीहादल, थाना-मदनपुर, जिला-देवरिया, उ0प्र0-274001 (अनुक्रमांक-521786) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री स्वतंत्र सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री स्वतंत्र सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री स्वतंत्र सिंह की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री स्वतंत्र सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गोरखपुर जोन, गोरखपुर के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री स्वतंत्र सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री स्वतंत्र सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8315/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री नितेश सिंह रावत पुत्र श्री मनवर सिंह रावत, निवासी-हाऊस नं0 5, प्रतापनगर गैस गोदाम रोड, कुशुमखेड़ा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड-263139 (अनुक्रमांक-362094) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री नितेश सिंह रावत नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री नितेश सिंह रावत का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री नितेश सिंह रावत की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री नितेश सिंह रावत को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर बरेली जोन, बरेली के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री नितेश सिंह रावत को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री नितेश सिंह रावत को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8316/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री प्रियंका सिंह पुत्री श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी-6/186, एम0 एक्स-1, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, उ0प्र0-221007 (अनुक्रमांक-527512) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री प्रियंका सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री प्रियंका सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री प्रियंका सिंह की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री प्रियंका सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री प्रियंका सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री प्रियंका सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8317/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री महावीर कालीरामना, ग्राम-कासनी कलॉ, पो0-मण्डोली कलॉ, तहसील-लोहरु, जिला-भिवानी, हरियाणा-127043 (अनुक्रमांक-168107) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री सुनील कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री सुनील कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री सुनील कुमार की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री सुनील कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर सहारनपुर जोन, सहारनपुर के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री सुनील कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री सुनील कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8318/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आरती सिंह पुत्री श्री खेम सिंह, निवासी-8/17, माली वाली गली, मित्रा नगर, थाना-बन्नादेवी, अलीगढ़, उ0प्र0-202001 (अनुक्रमांक-021722) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री आरती सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री आरती सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री आरती सिंह की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री आरती सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री आरती सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री आरती सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय

में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8319/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री विशाल चौधरी पुत्र श्री राधेश्याम चौधरी, निवासी-ग्राम-कबरा, पो0-छरहटा रुद्रनगर, जिला-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0-272151 (अनुक्रमांक-286425) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री विशाल चौधरी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री विशाल चौधरी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री विशाल चौधरी की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री विशाल चौधरी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर लखनऊ जोन द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री विशाल चौधरी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री विशाल चौधरी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8320/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अविनाश सागर पुत्र श्री राम सागर, ग्राम-दुर्गापुर रमपुरवा, पो0-भदौली, थाना-महाराजगंज, जनपद-अयोध्या, उ0प्र0 (अनुक्रमांक-136321) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री अविनाश सागर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री अविनाश सागर का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री अविनाश सागर की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री अविनाश सागर को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर लखनऊ जोन प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री अविनाश सागर को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री अविनाश सागर को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8321/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री राहुल कुमार पुत्र श्री मेवाराम, ग्राम-चावड़, पोस्ट-मुड़िया अहमदनगर, बरेली, उ0प्र0-243122 (अनुक्रमांक-308832) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री राहुल कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2—श्री राहुल कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री राहुल कुमार की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री राहुल कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री राहुल कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री राहुल कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8322/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री रवि रंजन पुत्र श्री कैलाश नाथ राम, मकान नं0 1074, सेक्टर-11, इन्दिरा

नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226016 (अनुक्रमांक-133591) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री रवि रंजन नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री रवि रंजन का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री रवि रंजन की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री रवि रंजन को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर अयोध्या जोन, अयोध्या के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री रवि रंजन को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री रवि रंजन को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8323/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री भारत पचिसिया पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, डी-15, सेक्टर-12, टीचर्स कालोनी, प्रताप बिहार, गाजियाबाद, उ0प्र0-201009 (अनुक्रमांक-592820) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री भारत पचिसिया नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री भारत पचिसिया का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री भारत पचिसिया की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री भारत पचिसिया को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर अलीगढ़ जोन, अलीगढ़ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री भारत पचिसिया को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री भारत पचिसिया को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8324/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री सुषमा पुत्री श्री श्याम सुन्दर, दीन दयाल उपाध्याय नगर, अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उ0प्र0-226002 (अनुक्रमांक-552926) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री सुषमा नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री सुषमा का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री सुषमा की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री सुषमा को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन द्वितीय, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री सुषमा को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री सुषमा को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8325/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री ज्योत्सना पुत्री श्री क्षितीश कुमार तिवारी, निवासी-9-88, राजेन्द्र नगर, सेक्टर-3, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ0प्र0-201005 (अनुक्रमांक-006978) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री ज्योत्सना नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री ज्योत्सना का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991

(अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री ज्योत्सना की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री ज्योत्सना को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतमबुद्ध नगर जोन, नोयडा के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री ज्योत्सना को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री ज्योत्सना को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8326/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अंशु आर्य पुत्री श्री बोसपाल सिंह, ग्राम-धर्मपुर, पोस्ट-सरैरा, तहसील-बिलसी, थाना-उघैती, जिला-बदायूँ, उ0प्र0-243724 (अनुक्रमांक-350422) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री अंशु आर्य नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री अंशु आर्य का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री अंशु आर्य की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री अंशु आर्य को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री अंशु आर्य को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री अंशु आर्य को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियुक्ति

26 मार्च, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8473/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सौमित्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, द्वारा स्व0 हरनाथ सिंह, निवासी-ग्राम-अमावता, जनपद-औरैया, उ0प्र0-206131 (अनुक्रमांक-234469) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री सौमित्र सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री सौमित्र सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री सौमित्र सिंह की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री सौमित्र सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन द्वितीय, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री सौमित्र सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री सौमित्र सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8478/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री रोहित गुप्ता पुत्र श्री कृपा शंकर गुप्ता, निवासी-नियर गुंजन पैलेस रोड, दिबियापुर, औरैया, उ0प्र0-206244 (अनुक्रमांक-480490) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री रोहित गुप्ता नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री रोहित गुप्ता का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री रोहित गुप्ता की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री रोहित गुप्ता को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री रोहित गुप्ता को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री रोहित गुप्ता को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8480/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री जयकिशन शर्मा, निवासी-म0नं0-607, ग्राम-गौमट, थाना-खैर, जिला-अलीगढ़, उ0प्र0-202135 (अनुक्रमांक-255373) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री प्रशान्त कुमार वशिष्ठ को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8479/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनुराग कुमार पाण्डेय पुत्र श्री नर्वदा प्रसाद पाण्डेय, म0नं0-26, जमुआन, पोस्ट-रोहुआ मछरगांव, थाना-कप्तानगंज, जिला-कुशीनगर, उ0प्र0-274149 (अनुक्रमांक-198602) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री अनुराग कुमार पाण्डेय नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री अनुराग कुमार पाण्डेय का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री अनुराग कुमार पाण्डेय की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री अनुराग कुमार पाण्डेय को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री अनुराग कुमार पाण्डेय को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री अनुराग कुमार पाण्डेय को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8481/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री अजय कुमार सिंह, ग्राम व पोस्ट-नवादाबेन, नियर नहर, थाना-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर, बिहार-802162 (अनुक्रमांक-283876) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री मनीष कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री मनीष कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री मनीष कुमार की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री मनीष कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर वाराणसी जोन द्वितीय, वाराणसी के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री मनीष कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री मनीष कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8482/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री राजश्री सिंह पुत्री श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी-एस 24/6ए-38, इन्दिरा नगर कॉलोनी, टकटकपुर, थाना-कैण्ट, वाराणसी-221002 (अनुक्रमांक-570571) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री राजश्री सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री राजश्री सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री राजश्री सिंह की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री राजश्री सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, प्रयागराज जोन, प्रयागराज के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री राजश्री सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री राजश्री सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8483/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री पुनीत कौशिक पुत्र श्री सूरज भान शर्मा, निवासी मकान नं0-217, सेक्टर-9ए, नियर सिद्धेश्वर स्कूल, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 (अनुक्रमांक-484192) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री पुनीत कौशिक नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री पुनीत कौशिक का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री पुनीत कौशिक की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री पुनीत कौशिक को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन, नोयडा के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री पुनीत कौशिक को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री पुनीत कौशिक को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8484/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशु त्यागी पुत्र स्व0 विनोद त्यागी, द्वारा श्री नारायण सिंह त्यागी, निवासी म0नं0-88, वी0पी0ओ0 बुरारी (नियर अतुल आइसक्रीम फैक्ट्री), दिल्ली-110084 (अनुक्रमांक-345041) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री आशु त्यागी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री आशु त्यागी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री आशु त्यागी की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री आशु त्यागी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री आशु त्यागी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री आशु त्यागी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8485/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री जमीर हसन पुत्र श्री फजल अहमद, निवासी-बाबा मार्केट, मीना बाजार, गली नं0-6, मोहल्ला टांडा, तहसील-बहेड़ी, जिला-बरेली, उ0प्र0-243201 (अनुक्रमांक-008385) को वाणिज्य कर अधिकारी के

पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री जमीर हसन नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री जमीर हसन का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री जमीर हसन की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री जमीर हसन को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन द्वितीय, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री जमीर हसन को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री जमीर हसन को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8486/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री चन्दन चौधरी पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश चौधरी, निवासी-मोहल्ला-एलवल, मकान नं0-1, पोस्ट-सदर, थाना-कोतवाली, जिला-आजमगढ़-276001 (अनुक्रमांक-391380) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री चन्दन चौधरी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।

2–श्री चन्दन चौधरी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री चन्दन चौधरी की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री चन्दन चौधरी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर वाराणसी जोन द्वितीय, वाराणसी के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री चन्दन चौधरी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री चन्दन चौधरी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/8487/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी पुत्री श्री बेनीमाधव त्रिवेदी, ग्राम-रामपुर खरही, पो0-बाजिदपुर, जिला-उन्नाव, उ0प्र0-209867 (अनुक्रमांक-324519) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री दिव्या बेनीमाधव त्रिवेदी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मिनिस्ती एस0,
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कार्यालय-आदेश

08 मार्च, 2021 ई0

सं0 1806/लो0आ0-2021-17/2017 टी0सी0–माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री राजेश कुमार,

उप सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद वेतन बैण्ड-4 वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे 8,700 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13, 1,23,100-2,15,900 में प्रोन्नत किया गया है।

10 मार्च, 2021 ई0

सं0 1863/लो0आ0-2021-17/2017 टी0सी0—माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सुश्री रीना रावत, अनु सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपसचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के पद वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 7,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12, 78,800-2,09,200 में प्रोन्नत किया गया है।

सं0 1865/लो0आ0-2021-17/2017 टी0सी0—माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्रीमती रीता पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुसचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 6,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, 67,700-2,08,700 में प्रोन्नत किया गया है।

सं0 1867/लो0आ0-2021-17/2017 टी0सी0—माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री मनीष श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुभाग अधिकारी, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, 56,100-1,77,500 में प्रोन्नत किया जाता है।

16 मार्च, 2021 ई0

सं0 2019/लो0आ0-2021-13-17/2017 टी0सी0—एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा श्री अवनीश शर्मा, अपर निजी सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, सतर्कता अनुभाग-4 के आदेश संख्या 1923/39-4-2020-15(41)/2015, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा नवसृजित निजी सचिव, के पद वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, 56,100-1,77,500 में प्रोन्नत किया जाता है।

17 मार्च, 2021 ई0

सं0 2071/लो0आ0-2021-17/2017 टी0सी0—एतद्द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 2019/लो0आ0-2021-13-17/2017 टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 2021 सपठित कार्यभार प्रमाण-पत्र संख्या 2022/लो0आ0-2021-15-17/2017 टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा श्री अवनीश शर्मा, अपर निजी सचिव को निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री अवनीश शर्मा, निजी सचिव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जन सम्पर्क अधिकारी के रिक्त पद वेतनमान वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, 56,100-1,77,500 में स्थानान्तरित करते हुये नियुक्ति किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अनिल कुमार सिंह,
सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-6

शुद्धि-पत्र

25 फरवरी, 2021 ई0

सं0 106/11-6-2021-एम(33)/2017—उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 विषयक अधिसूचना संख्या 457/11-6-2020-एम(33)/2017, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 के—

(क) हिन्दी पाठ में, उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 के स्थान पर उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2020 पढ़ा जाय।

(ख) अंग्रेजी पाठ में, THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020 के स्थान पर THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO) (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2020 पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

26 मार्च, 2021 ई0

सं0 850/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2021—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0, मथुरा के अन्तर्गत 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जी0आई0एस0 फरह, मथुरा परियोजना हेतु जनपद-मथुरा, तहसील-सदर, परगना-फरह, ग्राम रौसू की कुल 0.0350 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3—संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियां निम्नानुसार है :

(क) परियोजना स्थल पर पहुंचने के लिये 350 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण जरूरी है। प्रभावित परिवार के पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि है और इसलिये 350 वर्ग मीटर भूमि देने से प्रभावित परिवार को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 132 के0वी0 उपकेन्द्र जी0आई0एस0 फरह, मथुरा के निर्माण के लिये सम्पर्क स्थापित करने में जनपद-मथुरा में भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूति होती है।

(ख) परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप उपकेन्द्र से फरह क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ एवं गुणवत्तापरख होने से क्षेत्र का चहुँमुखी विकास हो सकेगा तथा भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ उपकेन्द्र के निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। केन्द्र निर्माण के सम्पर्क के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि के सापेक्ष अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

4—इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	सदर	फरह	रौसू	85	0.0350

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिवस के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय, जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सुरेन्द्र प्रसाद यादव,
कलेक्टर,
मथुरा।

NOTIFICATION

March 26, 2021

No. 850/S.L.A.O./J.O./Mathura/2021–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right of Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Collector, Mathura is satisfied that a total 0.0350 hectares of land is required in the Village-Rosu, Pargana-Farah, Tehsil-Sadar, District-Mathura is required for public purpose, namely, project 132 KV Substation GIS Farah, Mathura through Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., Mathura.

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 18-01-2021.

3. In brief, the recommendations of Multi disciplinary Expert Group regarding Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan is as follows :

(*a*) Acquisition of 350 Square meter of land is necessary to reach at project site. The affected family has large amount of land and therefore, acquisition of 350 Square meter of land will not have any significant impact on the affected family. The process of land acquisition to establish the road connectivity to 132 KV

GIS Farah, District Mathura is in public interest, public purpose and serves the purpose of social welfare and social benefit. By construction of project, Electrical power system shall be strengthened and quality of power supply from Electricity Substation to Farah area shall improve which will contribute in all around development of the area.

(*b*) The potential benefit from the land acquisition for construction of Substation is more than the social expenditure and adverse social impact. The proposed land acquisition for the purpose of establishing road connectivity to substation is quite low in compression to acquired land of substation.

4. No family is likely to be displaced due to the land acquisition for this project.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose:

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Sadar	Farah	Rosu	85	0.0350

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

SURENDRA PRASAD YADAV,
Collector,
Mathura.

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), विकास भवन, कौशाम्बी

अधिसूचना

दिनांक : 26 मार्च, 2021 ई0

संख्या 145/जि0नि0कौ0/पं0नि0-21/2021–उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या 741/33-3-221, दिनांक 26 मार्च, 2021 एवं राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 709/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/20-21/2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243-ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा ख ख एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264 ख ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अमित कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) कौशाम्बी एतद्द्वारा जनपद कौशाम्बी की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन,

जो माननीय न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों एवं ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनका कार्यकाल छः माह से अधिक अवशेष हो, को छोड़कर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ–

समय-सारिणी

चुनाव चक्र	नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ चरण	17 अप्रैल, 2021 से 18 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	19 अप्रैल, 2021 से 20 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	21 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	21 अप्रैल, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	29 अप्रैल, 2021 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)	02 मई, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2021 को सूचना निर्गत की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त सामान्य निर्वाचन उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 27 मार्च, 2021 से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

उपर्युक्त सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा।

ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अमित कुमार सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
कौशाम्बी।

पी0एस0यू0पी0–3 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 27, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज

03 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 06/न0पा0प0 सिसवा/(2020-21)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियिम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियिम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 296 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज अपने सीमान्तर्गत ''नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार लाइसेन्स शुल्क अधिरोपण-विस्तारीकरण एवं विजनेस लाईसेन्स (कम्पनी ऐक्ट 1956 के अधीन)/आई0टी0 एक्ट के अधीन विजनेस लाइसेन्स अधिरोपण सूचना'' की नियमावली बनायी गयी है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत उपरोक्त कम्पनी ऐक्ट/आई0टी0 ऐक्ट के अधीन अधिरोपित लाईसेंस शुल्क पर प्रभावित होने वाले व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी/सरकारी संस्थाओं से आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय पत्रांक 882/न0पा0प0 सिसवा/ई-नि0सू0/2020-21, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 द्वारा ''दैनिक जागरण'' एवं ''राष्ट्रीय सहारा'' हिन्दी दैनिक समचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया है। निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त सूचना के अनुसरण में कोई आपत्तियां कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।

अतएव, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 उसके साथ अंकित सूची-01 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमान्तर्गत लाइसेन्स शुल्क अधिरोपण विस्तारीकरण एवं विजनेस लाइसेन्स (कम्पनी ऐक्ट 1956 के अधीन)/आई0टी0 ऐक्ट के अधीन विजनेस लाइसेन्स अधिरोपण की दरों को लागू किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज (पूर्ववर्ती नगर पंचायत, सिसवा बाजार, वर्तमान में उच्चीकृत एवं विस्तारित नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सम्पूर्ण अधिसूचित परिसीमाओं में प्रभावी होगी।

नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार लाइसेन्स शुल्क अधिरोपण-विस्तारीकरण एवं विजनेस लाइसेन्स (कम्पनी ऐक्ट 1956 के अधीन)/आई0टी0 ऐक्ट के अधीन विजनेस लाइसेन्स अधिरोपण सूचना

नगर पंचायत, सिसवा बाजार (तत्समय अधिसूचित 1871 पश्चातवर्ती स्वतंत्र भारतीय गणराज्य 1950 में विस्तारित) वर्तमान में उ0प्र0 शासन, नगर विकास की अधिसूचना संख्या 1988/नौ-6-2019-02 ए0क्यू0/07, दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के अधीन तत्समय की नगर पंचायत, सिसवा बाजार उच्चीकृत एवं विस्तारित नगरपालिका परिषद्,

सिसवा बाजार के सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र के अधीन इस कार्यालय के पत्रांक न0पं0 सिसवा/95-96 दिनांक द्वारा शासन के पत्र संख्या 2399/नौ-9-94-204 (जनरल) दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 एवं शासनादेश संख्या 2806/नौ-9-1994-204 (जनरल) 90, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 नगर विकास अनुभाग-2 एवं पूर्ववर्ती शासनादेश दिनांक 02 अक्टूबर, 1994 के पश्चातवर्ती लाइसेंस दरों हेतु संशेधित शासनादेश संख्या 161/सी0एम0/नौ-9-97-23ज-97, दिनांक 16 दिसंबर, 1997, नगर विकास अनुभाग-2 के अधीन संशोधित सूची के प्रकाशनों उपरान्त लाइसेंस शुल्क की दरें, जो अधिरोपित थी, वह वर्तमान में उच्चीकृत एवं विस्तारित नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार के अधिसूचित सीमाओं के अन्तर्गत अधिरोपित समझी एवं पढ़ी जायेगी। उच्चीकृत/विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य कोई लाइसेंस शुल्क सम्बंधी नियमावली प्राविधानित या प्रकाशित नहीं समझी जायेगी। उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत वर्णित लाइसेंस शुल्क की दरें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अधीन अधिरोपित समझी जायेगी।

वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अधीन विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से न केवल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगमनशील है, अपितु आई0टी0 ऐक्ट के अधीन विभिन्न प्रकार की सूचना सम्प्रेषण एवं आधारभूत संरचना के रूप में इस परिषद् द्वारा अवस्थनात्मक सुविधायें प्रदत्त की जा रही है। वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों के अधीन कम्पनी ऐक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत/क्रियाशील/संचालित सरकारी/गैर सरकारी संस्था कम्पनी तकनीकी उत्पादन सम्बंधित इकाईयों के अधीन अभी तक नगर विकास विभाग द्वारा लाइसेन्स शुल्क की दरें प्राप्त न होने की स्थिति में नगरपालिका परिषद् सिसवा बाजार निम्न विजनेस लाइसेन्स की दरें कम्पनी ऐक्ट 1956 एवं आई0टी0 ऐक्ट के अधीन प्रगमनशील क्रियाकलापों पर निम्न शुल्क नगरपालिका परिषद् सिसवा बाजार के प्रस्तावित बोर्ड की बैठक के स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिरोपित करते हुए सिर्फ उन्हीं आपत्तियों पर विचारार्थ सूचना का प्रकाशन कर रही है, जो कम्पनी ऐक्ट 1956 एवं आई0टी0 ऐक्ट के अधीन प्रगमनशील है, अन्य कोई व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। उक्त प्रतिबन्ध उपरोक्त लाइसेन्स शुल्क अधिरोपित करने के पूर्व समस्त प्रकार के आपत्तियों का निस्तारण एवं तद्समय में जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा अपने विधिक निर्णयों के अधीन निस्तारित किए जा चुके हैं। यदि इस प्रकार की आपत्तियां पुनर्रुप में प्राप्त होती हैं, तो इस पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अधीन उसे आपत्ति एवं आपत्ति निस्तारण की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं समझा जायेगा।

क्र0स0	कम्पनी ऐक्ट 1956/आई0टी0 ऐक्ट	प्रस्तावित विजनेस लाइसेंस शुल्क दरें (प्रतिवर्ष)	आवेदन पद्धति (सीमित समय हेतु)
1	2	3	4
		रु0	
1	श्रेणी-ए	2.00 लाख	आनलाईन/आफलाईन
2	श्रेणी-बी	1.50 लाख	आनलाईन/आफलाईन
3	श्रेणी-सी	1.00 लाख	आनलाईन/आफलाईन
4	श्रेणी-विहीन	0.75 लाख	आनलाईन/आफलाईन

उपरोक्त दरें भविष्यवर्ती समयों में शासन/निदेशालय/मण्डलायुक्त (विहित प्राधिकारी)/जिलाधिकारी द्वारा दरें निर्धारित की जाती हैं, तो उपरोक्त प्रस्तावित दरें, उक्त दरों के सम्यानुकूल यथासंशोधित/प्रस्तावित/अधिरोपित समझी जायेगी, परन्तु यदि भविष्यकालीन नियत प्राधिकारीगणों द्वारा निर्धारित दरें नगरपालिका के निर्धारित दरों से न्यून होती है, तो पूर्ववर्ती समय में कम्पनी ऐक्ट 1956/ आई0टी0 ऐक्ट के अधीन विजनेस लाईसेंस की दरों में आने वाला अन्तर फर्म/कम्पनी को पालिका द्वारा अन्तरित नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कम्पनी ऐक्ट/आई0टी0 ऐक्ट के अधीन अधिरोपित लाईसेंस शुल्क पर प्रभावित होने वाले व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी /सरकारी संस्थायें दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 सायं 5.00 बजे तक जरिये पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल(officenpsiswa/gmail.com) पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार के नाम सम्बोधित प्रेषित कर सकती है। वाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आपत्ति निस्तारण की सुनवायी दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 11.30 बजे अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार के कार्यालय में किया जायेगा। यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो अगले कार्य-दिवस में सुनवायी की तिथि, समय एवं स्थल पूर्ववर्ती समझा जायेगा।

पूर्ववर्ती नगर पंचायत, सिसवा बाजार के लाइसेंस शुल्क अधिरोपित व्यक्ति अपना देय प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर के प्रथम पखवाड़े तक अनिवार्य रूप से कार्यालय, नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार में जमा कर देवें, अन्यथा की स्थिति में शत-प्रतिशत लाइसेन्स शुल्क अधिरोपित किए जाने हेतु जी0आई0एस0 सर्वे के माध्यम से डाटा संग्रहण करते हुए शुल्क अधिरोपण एवं वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केशोराम इण्डस्ट्रीज लि0 (2004) 10 एस0सी0सी0-201 में अवधारित व्यवस्था के अधीन कर अधिरोपण करने की शक्ति का प्रयोग व्यापार, उद्योग, वाणिज्यिक या किसी अन्य क्रिया कलाप को विनियमित करने के अधीन कर को उद्ग्रहीत करने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषद, सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज अपनी संप्रभुता के अधीन नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुज्ञप्ति निर्गतन के अधीन इस परिषद् की अधिसूचित सीमाओं के अधीन परिषद् के सम्प्रभुता का उपयोग करते हुए उद्योग, व्यापार, वाणिज्यिक या किसी अन्य प्रकार के व्यापारिक क्रियाकलाप को विनियमित करने हेतु अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन मैं, आलोक कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार उपरोक्त अनुज्ञप्ति को अधिरोपित एवं अंगीकृत करता हूँ। अधिशासी अधिकारी नाम इस सूचना प्रकाशन में वर्तमान एवं तत्समय के अधीन समझा व जाना जायेगा।

रागिनी जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, सिसवा बाजार,
महराजगंज।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज

03 मार्च, 2021 ई0

सं0 07/न0पा0प0 सिसवा/(2020-21)—नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के निबन्धन पर कर आरोपण करने सम्बन्धी नियमावली के आलेख को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) (13-बी) के अधीन बनाया गया है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कार्यालय पत्रांक संख्या 651/न0पा0प0सिसवा/2020-21 दिनांक 27 जुलाई, 2020 द्वारा ''दैनिक जागरण'' एवं ''राष्ट्रीय सहारा'' हिन्दी दैनिक समचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया है कि किसी को प्रस्तावित नियम पर सुझाव अथवा कोई आपत्ति हो तो वे इस नियमावली के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना के अनुसरण में प्राप्ति आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण कार्यालय पत्रांक संख्या 850/न0पा0प0सिसवा/2020-21, दिनांक 12 नवम्बर, 2020 द्वारा नियमानुसार किया गया है।

अतएव, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमान्तर्गत अचल सम्पत्ति हस्तानांतरण के अनुबंध पर कर आरोपण के नियम प्रस्तावित हैं, जो नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज, "अचल सम्पत्ति हस्तानांतरण के अनुबंध पर कर आरोपण नियमावली, 2020" कहलाएगी। जो उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज (पूर्ववर्ती नगर पंचायत, सिसवा बाजार, वर्तमान में उच्चीकृत एवं विस्तारित नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार) जनपद महराजगंज की सम्पूर्ण अधिसूचित परिसीमाओं में प्रभावित होगी।

आलेख

उत्तर प्रदेश नगरपालिका आलेख अधिनियम, 1916 की धारा 296 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज अपनी सीमा अन्तर्गत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के अनुबन्ध पर कर आरोपण एवं वसूली के नियम प्रस्तावित किए हैं, जो नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के अनुबन्ध पर कर आरोपण नियमावली, 2020 कहलायेगी।

नियमावली

1–इन नियमों के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति (इम्प्रूवमेन्ट बिल प्रापर्टी) पर कर का तात्पर्य उस टैक्स से है, जो यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 की धारा 128(1) (13-बी) के अधीन है। समस्त प्रकार की अचल सम्पत्ति जिसमें भवन, भवन निर्माण हेतु क्रय की गयी भूमि, निकास, आवासीय, व्यापारिक अथवा औद्योगिक उद्देश्यों हेतु क्रय किए गये भवन (इमारतों) आदि पर लगाया जायेगा।

2–अचल सम्पत्ति के क्रय पर कर निर्धारण भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, 1899 के अनुसार नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सीमा अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की अचल सम्पत्ति की क्रय किए जाने हेतु अनुबन्ध पत्र पर लागू ड्यूटी के अनुसार उस धनराशि अथवा मूल्य पर जिसके अनुसार कथित ऐक्ट के अनुसार ड्यूटी का आंकलन किया गया है तथा यह दर 2 (दो) प्रतिशत की दर से रजिस्ट्री होते समय ही क्रयकर्ता से वसूल किया जायेगा।

3–यह कर अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री होते समय ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्बंधित रजिस्ट्रार द्वारा क्रयकर्ता से स्टैम्प ड्यूटी के रूप में वसूल किया जायेगा और ऐसी वसूली में होने वाले आवश्यक व्ययों को काटकर यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट की धारा 128-ए(2) के अनुसार, शेष धनराशि का भुगतान नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार को कर दिया जायेगा।

4–नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति का कोई भी हस्तान्तरण, विक्रय अथवा बन्धकनामा तब तक वैध नहीं माना जायेगा, जब तक कि उक्त फीस की धनराशि, उस पर जमा नहीं कर दी जाती है।

दण्ड

यू0पी0 म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1916 की धारा 296 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज यह आदेश देती है कि इस नियमावली में दिए गये उप नियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) अथर्दण्ड लिया जायेगा, जो किसी भी दशा में रु0 250.00 (दो सौ पचास रुपये) से कम न होगा।

रागिनी जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार,
महराजगंज।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज

03 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 08/न0पा0प0 सिसवा/(2020-21)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची-1(ज) की उपधारा "ख" एवं "ग" के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज ने अपनी सीमा के अन्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु नियमावली, 2020 बनायी गयी है। इस नियमावली को उक्त ऐक्ट की धारा 301-क (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कार्यालय पत्रांक 893/न0पा0प0सिसवा/2020-21, दिनांक 28 नवम्बर, 2020 द्वारा ''दैनिक जागरण'' एवं ''अमर उजाला'' हिन्दी दैनिक समचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया है कि उक्त उपविधि के आलेख के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था व संगठन अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो उपविधि के प्रकाशन के एक माह अर्थात 30 दिन के अन्दर नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के कार्यालय में लिखित आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त सूचना के अनुसरण में कोई आपत्तियां कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।

अतएव, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमान्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली से सम्बंधित नियम प्रस्तावित है, जो नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज, "टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली से सम्बंधित नियमावली, 2020" कहलाएगी। जो उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज (पूर्ववर्ती नगर पंचायत, सिसवा बाजार, वर्तमान में उच्चीकृत एवं विस्तारित नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार) जनपद महराजगंज की सम्पूर्ण अधिसूचित परिसीमाओं में प्रभावित होगी।

नियमावली

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवित्ति–**(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सीमा के भीतर स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली से सम्बन्धित नियमावली, 2020 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब से नगर सीमा के अनर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क वसूला जाये।

(3) यह नियमावली नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड में खड़े होने वाले समस्त प्रकार के वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु समस्त प्रकार के तिपाहिया, चारपहिया तथा उससे अधिक धुरी वाले वाहनों पर प्रवृत्त होगा।

2–परिभाषायें–विषय या प्रसंग में कोई वात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 02 सन् 1916) से है।

(ख) "नगर" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज से है।

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(2) की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन आरोपित पार्किंग शुल्क से है।

(घ) "नगरपालिका परिषद्" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज से है।

(ङ) "अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

3–यह उपनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

4–नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमान्तर्गत कोई सवारी लारी, बस, ट्रक, मिनी बस, टैम्पो, आटो रिक्शा, टैक्सी, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर-ट्राली आदि वाहन निर्धारित स्टैण्डों के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी जगह खड़े नही होंगे। ऐसी गाड़ी के ड्राईवर, मालिक, क्लीनर, कन्डक्टर या इन्चार्ज आगे अंकित निर्धारित दर के अनुसार नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज द्वारा निर्धारित स्थान पर गाड़ी खड़ा करने का शुल्क अदा करने के बाद ही गाड़ी खड़ा करेंगे।

5–ऐसे गाड़ी के ड्राईवर, मालिक, कन्डक्टर या इन्चार्ज को गाड़ी खड़ा करने की निश्चित फीस की रसीद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

6–नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमान्तर्गत किराये पर चलने वाली मोटर गाड़ियों को खड़ा करने हेतु कोई निजी (प्राईवेट) स्टैण्ड नही बनवाया जायेगा।

7–नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सीमा के अर्न्तगत गाड़ी खड़ी करने के लिए निर्धारित स्थान पर वाहन चालक, मालिक, कन्डक्टर क्लीनर अथवा इन्चार्ज नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार को नियत पार्किंग शुल्क अदा करेगा।

8–कोई भी लारी, बस, ट्रक, मिनी बस, टैम्पो, टैक्सी, कार, जीप आदि वाहनों को चौबीस घण्टें से अधिक ठहरने का अधिकार नहीं होगा और यदि इससे अधिक 24 घण्टे के बाद ठहरना चाहें तो उसके लिए अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज से ऐसी लिखित अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा, जैसा कि वह नियत करें।

9–नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सीमा के अर्न्तगत कोई भी लारी, बस, ट्रक, मिनी बस, टैम्पो, टैक्सी, कार, जीप आदि वाहन स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य कहीं पर खड़ा किये जाने पर पार्किंग शुल्क देना अनिवार्य होगा।

10–कोई भी सवारी गाड़ी, लारी, बस, ट्रक, मिनी बस, टैम्पो, टैक्सी, कार, जीप फोर व्हीलर/थ्री व्हीलर, आटो रिक्शा आदि वाहन नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमा में सवारी अथवा कोई माल उतारेगा अथवा चढ़ायेगा तो उसे पार्किंग शुल्क टैक्सी स्टैण्ड के ठेकेदार अथवा नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के वसूली हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को देना अनिवार्य होगा।

11–वसूली हेतु अधिकृत ठेकेदार/कर्मचारी को शासन, जिलाधिकारी, महराजगंज, अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों व निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12–वाहन वार निम्नानुसार शुल्क निर्धारित होगा।

वाहन का प्रकार वसूली हेतु निर्धारित दर–

	रु0
1–प्राईवेट वाहन मिनी बस	100.00 प्रतिदिन
2–बस	200.00 प्रतिदिन
3–ट्रक (दस पहिया तक)	300.00 प्रतिदिन
4–ट्रक या ट्रेलर (दस पहिया से अधिक)	500.00 प्रतिदिन
5–टैक्सी, कार, जीप, टाटा मैजिक, विन्जर आदि समतुल्य वाहन	75.00 प्रतिदिन
6–आटो रिक्शा (07 सीटर तक)	50.00 प्रतिदिन
7–ठेला (इंजन चालित)	50.00 प्रतिदिन

13–पार्किंग सम्बन्धित कोई भी विवाद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा निपटाया जायेगा। ऐसे विवाद जिनसे यह सिद्ध हो जायेगा कि पार्किंग शुल्क चोरी की गयी है। अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत शुल्क से पचास गुना तक जुर्माना किया जा सकता है।

14–अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार को प्राप्त होगा।

छूट

15–शव लेकर जाने वाले वाहन एवं एम्बुलेन्स (रोगी वाहन) इस शर्त के साथ पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे कि वे वास्तव में ही रोगी ले जा रहे हैं। यदि रोगी के स्थान पर सवारियां लायी जा रही हैं, तो शुल्क देना होगा।

16–ऐसे वाहन जो निकाय के सीमा में बिना रुके अवागमन करते हों।

17–ट्रैक्टर–ट्राली जो कृषि कार्य से सम्बन्धित माल बाहर से लादकर ले आ रही हो।

18–राज्य सड़क परिवहन निगम सहित ऐसे सरकारी वाहन जो सरकारी कार्य हेतु निकाय की सीमा में आवागमन करते हों एवं सरकारी कार्य में प्रयोग किये जायें।

19–भारत सरकार सहित समस्त राज्य सरकारों के अधीन शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों, प्रतिष्ठानों, उपक्रमों, परिषदों, निगमों एवं निकायों आदि से सम्बन्धित सरकारी प्रयोग में लगे वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे।

20–नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमा के अन्तर्गत रहने वाले समस्त प्राईवेट वाहन कार, जीप, स्कूल बस, स्कूल बैन, स्कूल टैम्पो आदि वाहन जो कि जनपद महराजगंज का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करता हो, को जांच के उपरान्त निःशुल्क पास जारी किये जायेंगे, जिसे वाहन स्वामी को अपने वाहन के आगे शीशे पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम 1916 (अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपविधि एवं शर्तों के उल्लंघन का दोष सिद्ध होने की दशा में रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार मात्र) तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी होना पाया जाय तो रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

रागिनी जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार,
जनपद महराजगंज।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज

03 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 09/न0पा0प0 सिसवा/(2020-21)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियिम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियिम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 296 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज अपने सीमान्तर्गत ''विविध कर शुल्क (उपविधि) नियमावली 2020'' बनायी गयी है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु ''दैनिक जागरण'' हिन्दी दैनिक समचार-पत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 2020 एवं "अमर उजाला", हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशन कराया गया है कि इस उपविधि के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उक्त नियमावली के सम्बन्ध में उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह/संस्था/एन0जी0ओ0/हितबद्ध व्यक्तियों का कोई आपत्ति या सुझाव यदि हो तो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज को सम्बोधित करके लिखित रूप से प्रेषित किया जाय। निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त सूचना के अनुसरण में कोई आपत्तियां एवं सुझाव कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।

अतएव, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 उसके साथ अंकित सूची-01 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के सीमान्तर्गत विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली के नियम प्रस्तावित हैं, जो नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज, "विविध कर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2020" कहलाएगी। जो उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज (पूर्ववर्ती नगर पंचायत, सिसवा बाजार, वर्तमान में उच्चीकृत एवं विस्तारित नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज की सम्पूर्ण अधिसूचित परिसीमाओं में प्रभावी होगी।

अनुसूची-2

(नियम-25 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट की दरें

1—भूमि, दिवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए (प्रथम श्रेणी के अर्न्तगत पूर्ववर्ती नगर पंचायत, सिसवां बाजार की अधिसूचित सीमा वर्ष 1871 एवं तत् के क्रम में भारतीय स्वतंत्र गणराज्य के अधीन वर्ष 1950 में विस्तारित नगर पंचायत सिसवा बाजार की सीमा के अधीन श्रेणी-अ सम्पूर्ण पूर्ववर्ती नगर पंचायत के परिसीमाओं के अधीन समझा जायेगा। श्रेणी 'अ' विस्तारित एवं उच्चीकृत नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार की अधिसूचना संख्या 1988/नौ-6-2019-02 ए.क्यू./07, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 कि परिसीमा के अधीन विस्तारित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रमुख मार्गों, राजमार्गों/भविष्यकालीन राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन होने वाले मार्गों के अधीन परिभाषित एवं अधिरोपित समझी जायेगी। विज्ञापन एवं विज्ञापन पट की दरों का प्रस्तर-1 की श्रेणी 'अ' एवं श्रेणी 'ब' समस्त वर्गीकृत क्षेत्रों पर अधिरोपित समझी जायेगी।

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
अ-श्रेणी	रु0 2,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
ब-श्रेणी	रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष

2—यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर विद्युत अथवा इलेक्ट्रानिक प्रकाश युक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विर्निष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी।

3—(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वाहन/प्रति वर्ष)
हल्का वाहन	रु0 5,000.00 प्रति वर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	रु0 20,000.00 प्रति वर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर—

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वाहन/प्रति दिन)
(1) तीन पहिया	रु0 50.00 प्रति दिन
(2) चार पहिया	रु0 500.00 प्रति दिन
(3) छः पहिया	रु0 1,000.00 प्रति दिन

4– विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट–

वर्गीकरण श्रेणी	**देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)**
अ-श्रेणी	रु0 3,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
ब-श्रेणी	रु0 2,000.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
5–पोस्टर	रु0 300.00 प्रति सैकड़ा
6–परचा	रु0 600.00 प्रति सैकड़ा
7–पताका (बैनर)	रु0 100.00 प्रति सैकड़ा

8–विद्युत या इलेक्ट्रनिक युक्त/परिवर्तनशील संदेह चिन्ह सहित–

वर्गीकरण श्रेणी	**देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)**
अ-श्रेणी	रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
ब-श्रेणी	रु0 1,200.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
9–गुब्बारे	रु0 500.00 प्रति दिन
10–छतरी	रु0 500.00 प्रति दिन
11–एक स्तम्भ	रु0 उपर्युक्त मद 1 के अनुसार
12–अन्य प्रकार के विज्ञापन	रु0 उपर्युक्त मद 4 के अनुसार

स्पष्टीकरण–

1–इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें वर्तमान जो इस नियमावली में प्राविधानित नहीं है, परन्तु विज्ञापन कर की श्रेणी में वर्तमान या भविष्य कालीन किसी भी श्रेणी एवं समय में परिभाषित किये जाते हैं तो इस हेतु नियमावली अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिसवा बाजार को कर अधिरोपण हेतु प्राधिकृत एवं अनुमन्यता प्रदान करती है। शर्त यह है कि यदि इस नियमावली में उक्त मद विज्ञापन कर की श्रेणी में परिभाषित न हो या भविष्य कालीन निदेशालय/शासन/जिला प्रशासन/विहित प्राधिकारी अर्थात् मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा विज्ञापन कर की श्रेणी में परिभाषित किया जाता है तो विज्ञापन कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

2–स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्देश्य से रुपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।

3–कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

4–**य**दि किसी वित्तीय वर्ष विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नहीं होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

5–यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सिसवा बाजार निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा, किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा। विज्ञापन न्यूनतम 15 दिन का भी हो सकता है। 15 दिन से कम के विज्ञापन पर पालिका अपने आर्थिक हितों के अनुकूल निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। आवेदक किसी प्रकार का तर्क या दबाव देने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

6–कर की सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

रागिनी जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, सिसवा बाजार,
महराजगंज।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, कुशीनगर, जनपद कुशीनगर

05 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 412/न0पा0प0कु0/(2021-22)–नगरपालिका परिषद्, कुशीनगर, जनपद कुशीनगर के यू0पी0 म्यूनिस्टैल्टीज ऐक्ट, 1916 की धारा 298 (2) सूची-1 के खण्ड ज, झ, ग के साथ पठित अधिनियम की धारा 299 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, कुशीनगर के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु लागू उपनियम की दरों में नगरपालिका परिषद् ने अपने विशेष प्रस्ताव संख्या 02, दिनांक 06 मार्च, 2021 द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है, को उक्त ऐक्ट की धारा 301(2) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है।

संशोधन

क्रमांक	नाम वाहन	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	बस/ट्रक	55.00 प्रतिदिन प्रति वाहन	150.00 प्रतिदिन प्रति वाहन
2	मिनी बस	45.00 प्रतिदिन प्रति वाहन	100.00 प्रतिदिन प्रति वाहन
3	टैक्सी/जीप	40.00 प्रतिदिन प्रति वाहन	60.00 प्रतिदिन प्रति वाहन
4	टैम्पो/मैजिक	18.00 प्रतिदिन प्रति वाहन	30.00 प्रतिदिन प्रति वाहन
5	ई-रिक्शा	00.00	20.00 प्रतिदिन प्रति वाहन

(समस्त प्रकार के सरकारी वाहनों को छोड़कर)

क्रमांक	वर्तमान पार्किंग स्थल	संशोधित पार्किंग स्थल
1	2	3
1	कसया पडरौना रोड पी0डब्लू0डी0 के सामने	कसया पडरौना रोड, पडरौना रोड (आरा मशीन) पुलिया के पास।
2	कसया देवरिया रोड गांधी चौक के पास	कसया देवरिया रोड ओवर ब्रीज के पास।
3	कसया सपहा रोड पुलिया के पास	कसया सपहा रोड पेट्रोल टंकी के पास।
4	कसया गोरखपुर रोड बस स्टेशन के पास	कसया गोरखपुर रोड विनेट क्लब के पास।

साबिरा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, कुशीनगर,
जनपद कुशीनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स ब्राइट लाइफ टेक्नोलॉजीज, प्लॉट नं0-38, सेक्टर-ए 2, साइट-5, सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201308 की साझीदारी में श्रीमती आरती गुप्ता, श्री कमल किशोर एवं श्री बालक राम गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को श्री कमल किशोर फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये। वर्तमान में फर्म की साझीदारी में श्रीमती आरती गुप्ता एवं श्री बालक राम गुप्ता साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आरती गुप्ता,
साझीदार,
मेसर्स ब्राइट लाइफ टेक्नोलॉजीज,
प्लॉट नं0-38, सेक्टर-ए 2, साइट-5,
सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, कासना,
ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201308।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स प्रेसकॉम इण्डस्ट्रीज, ए-216, सेक्टर-43, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201303 की साझीदारी में श्री संजीव गोयल, श्री शारण्या गोयल एवं श्रीमती राज रानी गोयल साझीदारी थे। दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को श्रीमती राज रानी गोयल जी का स्वर्गवास हो चुका है। फर्म में वर्तमान में श्री संजीव गोयल एवं श्री शारण्या गोयल साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

संजीव गोयल,
साझीदार,
मेसर्स प्रेसकॉम इण्डस्ट्रीज ए-216,
सेक्टर-43, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201303।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स रामस्वरूप इण्डेन ग्रामीण एल0पी0जी0 वितरक, ग्राम सादिकपुर (सादकपुर), हापुड़, जिला हापुड़-245101 की साझीदारी में श्री गोपाल कृष्ण शर्मा एवं श्रीमती संगीता शर्मा साझीदार हैं। दोनों साझीदारों की सहमति से दिनांक 20 मार्च, 2021 को संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म का नाम संशोधित कर मेसर्स रामस्वरूप इण्डेन ग्रामीण वितरक किया गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

गोपाल कृष्ण शर्मा,
साझीदार,
मेसर्स रामस्वरूप इण्डेन ग्रामीण वितरक,
ग्राम सादिकपुर (सादकपुर), हापुड़
जिला हापुड़-254101।

सूचना

मैं, आस्था पुत्री कैलाश, नि0-97क भटियान, LIC के सामने, राठ, हमीरपुर (उ0प्र0) पिन-210431, मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों एवं पहचान पत्रों में मेरा नाम आस्था अंकित है। जबकि मेरा सही नाम आस्था विश्वकर्मा है। आस्था एवं आस्था विश्वकर्मा एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मुझे मेरे सही नाम आस्था विश्वकर्मा नाम से बोला व लिखा-पढ़ा जाये।

आस्था विश्वकर्मा,
पुत्री कैलाश,
पता-97क भटियाना, LIC के सामने,
राठ, हमीरपुर (उ0प्र0) पिन-210431।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 फारूखी ग्लास इण्डस्ट्रीज, अपोजिट सुहाग कॉच उद्योग, विलेज ढ़ोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद से पूर्व भागीदार श्रीमती शीला रानी मित्तल पत्नी स्व0 सतीश प्रकाश मित्तल व श्री संजय प्रकाश मित्तल पुत्र स्व0 सतीश प्रकाश मित्तल, निवासीगण 29-30, गणेश नगर, फिरोजाबाद, दिनांक 31 जनवरी, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा फर्म में श्री समर मित्तल पुत्र श्री संजीव प्रकाश मित्तल व श्रीमती रागिनी मित्तल पत्नी श्री संजीव प्रकाश मित्तल, निवासीगण 101, टयूलिप टावर, एफ0 एम0 गार्डन सिटी, फिरोजाबाद नये भागीदार के रूप में दिनांक 31 जनवरी, 2021 से सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री संजीव प्रकाश मित्तल, श्री सागर मित्तल, श्री समर मित्तल व श्रीमती रागिनी मित्तल भागीदार हो गये हैं।

संजीव प्रकाश मित्तल,
भागीदार,
मे0 फारूखी ग्लास इण्डस्ट्रीज,
अपोजिट सुहाग कॉच उद्योग, विलेज, ढ़ोलपुरा,
आगरा रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 नन्नू मल ग्लास वर्क्स, ग्राम ढ़ोलपुरा, पो0 आ0 फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद में श्री सागर मित्तल पुत्र श्री संजीव प्रकाश मित्तल व श्री समर मित्तल पुत्र श्री संजीव प्रकाश मित्तल, निवासीगण 101, टयूलिप टावर, एफ0एम0 गार्डन सिटी, फिरोजाबाद नये भागीदार के रूप में दिनांक 30 जनवरी, 2021 से सम्मिलित हो गये हैं तथा उक्त फर्म के पूर्व भागीदार श्रीमती शीला रानी मित्तल पत्नी स्व0 सतीश प्रकाश मित्तल व श्री संजय प्रकाश मित्तल पुत्र स्व0 सतीश प्रकाश मित्तल, निवासी 29-30, गणेश नगर, फिरोजाबाद, दिनांक 31 जनवरी, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री संजीव प्रकाश मित्तल, श्री सागर मित्तल, श्री समर मित्तल भागीदार हो गये हैं।

संजीव प्रकाश मित्तल,
भागीदार,
मे0 नन्नू मल ग्लास वर्क्स, ग्राम ढ़ोलपुरा,
पो0 आ0 फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद।

सूचना

फर्म मेसर्स वाई0एस0जे0के0 काण्ट्रेक्टर यदुवंश नगर बाईपास रोड, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह 45 वर्ष, निवासी गांव नगला तुर्सी, पो0 बड़ा गांव, तह0 जसराना, जिला फिरोजाबाद तथा महेश चन्द्र पुत्र श्री हाकिम सिंह उम्र 51 वर्ष, निवासी गांव नगला तुर्सी, पो0 बड़ा गांव तह0 जसराना, जिला फिरोजाबाद उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। उक्त दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री जीतू सिंह पुत्र श्री राम निवास उम्र 31 वर्ष, निवासी 215, अंजनी मैनपुरी को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिये हैं। वर्तमान में साझीदार जुगेश कुमार, जीतू सिंह हैं।

जुगेश कुमार,
साझीदार,
मेसर्स वाई0एस0जे0के0 काण्ट्रेक्टर,
यदुवंश नगर बाईपास रोड, शिकोहाबाद,
जिला फिरोजाबाद।

सूचना

फर्म मे0 बृज टैक्टर्स देहली गेट, मथुरा पत्रावली संख्या एजी 12359 में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती रिंकल अग्रवाल पत्नी श्री रोहित अग्रवाल, निवासी 29 जगन्नाथपुरी मथुरा, तहसील व जिला मथुरा, श्री कुनाल अग्रवाल पुत्र स्व0 राजेश अग्रवाल, निवासी 29, जगन्नाथपुरी मथुरा, तहसील व जिला मथुरा, श्री राजेश कुमार अग्रवाल, एच0यू0एफ0 थ्रो करता श्री रोहित अग्रवाल पुत्र स्व0 राजेश अग्रवाल, निवासी 29, जगन्नाथपुरी मथुरा, तहसील व जिला मथुरा उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है फर्म में वर्तमान में साझीदार श्री अजय अग्रवाल, श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्रीमती मेघा बंसल, श्रीमती रिंकल अग्रवाल, श्री कुनाल अग्रवाल, श्री राजेश कुमार अग्रवाल हैं।

अजय अग्रवाल,
साझीदार,
मे0 बृज टैक्टर्स, देहली गेट मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स जनता ट्रान्सपोर्ट, निकट विकास भवन, रेलवे रोड, बुलन्दशहर (उ0प्र0) 203001 की साझीदारी में श्री प्रेमपाल सिंह एवं श्री अतुल कुमार साझीदार थे। दिनांक 11 फरवरी, 2021 को श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा श्री प्रेमपाल सिंह फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये। वर्तमान में फर्म की साझीदारी में श्री अतुल कुमार एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अतुल कुमार,
साझीदार,
मेसर्स जनता ट्रान्सपोर्ट,
निकट विकास भवन, रेलवे रोड,
बुलन्दशहर (उ0प्र0)-203001।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 लक्ष्मी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, ग्राम हथकोली, तह0 व जिला मथुरा जो कि दिनांक 01 जून, 2014 से श्री विकास गुप्ता व श्रीमती राजबाला के द्वारा साझेदारी के अन्तर्गत संचालित थी, में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार से हैं–

1–यह है कि उक्त फर्म में मुरारी लाल पुत्र श्री श्रीनाथ दास अग्रवाल, निवासी डैम्पियर नगर, एस0पी0 सरीन रोड, म्यूजियम चौक, मथुरा उ0प्र0 तृतीय पक्ष, श्री भूरी सिंह पुत्र श्री डोरी लाल, निवासी पैगांव बांगर, पोस्ट पैगांव, जिला मथुरा, चतुर्थ पक्ष, श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल, पंचम पक्ष, तथा श्री नितेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासीगण डैम्पियर नगर, एस0पी0 सरीन रोड, म्यूजियम चौक, मथुरा उ0प्र0 छठवां पक्ष दिनांक 21 जनवरी, 2021 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

2–यह है कि उक्त फर्म के पूर्व प्रथम पक्ष श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार व द्वितीय पक्ष श्रीमती राजबाला पत्नी श्री विनोद कुमार निवासीगढ़-279, गली नं0-5, दुर्गा पुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में दिनांक 31 जनवरी, 2021 से श्री मुरारी लाल, श्री भूरी सिंह, श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल व श्री नितेन्द्र कुमार अग्रवाल ही भागीदार रह गये हैं।

मुरारी लाल,
मे0 लक्ष्मी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम हथकोली, तहसील व जिला मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 शिवा आटो मोबाइल (आटो डिवीजन), पड़ाव दुबे, जी0टी0 रोड, अलीगढ़ में श्री सौमित्र मित्तल पुत्र श्री शलभ मित्तल, निवासी 51, मित्र नगर, अलीगढ़ नये भागीदार के रूप में दिनांक 31 मार्च, 2021 से सम्मिलित हो गये हैं तथा फर्म के पूर्व भागीदार श्री शिव कुमार मित्तल पुत्र स्व0 राम स्वरूप, निवासी 51 मित्र नगर, अलीगढ़, दिनांक 31 मार्च, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री शलभ मित्तल व श्री सौमित्र मित्तल ही भागीदार हो गये हैं।

शलभ मित्तल,
भागीदार,
मे0 शिव आटो मोबाइल (आटो डिवीजन),
पड़ाव दुबे, जी0टी0 रोड, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मोना गैस एजेंसी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव जौक नगर, गंज मुरादाबाद उन्नाव, उ0प्र0 के भागीदार मुस्तफा कमाल फातमी का निधन, दिनांक 01 जनवरी, 2021 को हो गया है। अब फर्म में केवल एक ही भागीदार हिना फातमी बच रही हैं। इसलिये फर्म को दिनांक 25 मार्च, 2021 से विघठित कर दिया गया है। उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

हिना फातमी,
भागीदार।

पी0एस0यू0पी0–3 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।